बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

3/अ0प्र0-01-155/2012 10178 /पटना/दिनांक :- 22/9/25

श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद के विरूद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने संबंधी आरोपों पर दर्ज निगरानी थानाकांड सं0 064/2009 दिनांक 05.06.2009 धारा-201, भा0द0वि0 एवं धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0-1988 के मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-8367-सह-पठित ज्ञापांक 8368 दिनांक 13.10.2009 द्वारा श्री सिंह को न्यायिक हिरासत में जाने की तिथि 04.06.2009 के प्रभाव से निलंबित किया गया। दिनांक 28.08.2009 को जमानत मिलने के उपरांत श्री सिंह द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर दिनांक 29.08.2009 को कार्यालय में योगदान के उपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-2969-सह-पठित ज्ञापांक 2970 दिनांक 10.03.2010 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। ततपश्चात् विभाग द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अपराधिक मामला लंबित रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं (ग) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-2971-सह-पठित ज्ञापांक 2972 दिनांक 10.03.2010 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 की कंडिका-V में निहित प्रावधानानुसार श्री सिंह को दिनांक 29.08.2009 के प्रभाव से पुनः अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 2109/2012 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(6)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना सं 16324 दिनांक 08.10.2012 द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

3. श्री श्रीकान्त सिंह के विरूद्ध उपर्युक्त मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के रूप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संसोधन) नियमावली, 2007 की कंडिका 14(xi) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 4593-सह-पठित ज्ञापांक 4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा 'बर्खास्तगी (Dismissal)' की शास्ति अधिरोपित की गयी।

4. उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 7151/2015, श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.01.2024 को पारित न्यायादेश में श्री श्रीकान्त सिंह के विरूद्ध अधिसूचना संख्या-4593 दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिरोपित 'बर्खास्तगी (Dismissal)' की शास्ति को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने तथा तत्काल औपबंधिक पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया गया।

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in

5. CWJC No. 7151/2015, श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.01.2024 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध श्री श्रीकान्त सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA सं0 58/2024 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित न्यायादेश में CWJC No. 7151/2015, श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.01.2024 को पारित न्यायादेश को निरस्त करते हुए श्री सिंह को बर्खास्त किये जाने की तिथि से सेवा में पुनः स्थापित करते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति तक देय सभी बकाया लाभों का भुगतान करने एवं सेवान्त लाभों का भी भुगतान करने का आदेश दिया गया।

6. उक्त के आलोक में LPA सं0 58/2024, श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन के बिन्दु पर विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में LPA संख्या–58/2024 श्री श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 03.09.2024 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) Diary No-3629/2025 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्री श्रीकान्त सिंह) दायर किया गया। इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.02.2025 को सुनवाई के पश्चात् पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"We are not inclined to interfere with the impunged judgment passed by the High Court. Hence, the Special Leave Petition is dismissed."

7. उक्त के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है:–

"After dismissal of SLP there is no other option but to comply direction issued by Division Bench in LPA NO :– 58/2024. let it be done immediately".

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में SLP (Civil) Diary No-3629/2025 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्री श्रीकान्त सिंह) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.02.2025 को पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के उक्त परामर्श के आलोक में प्रसांगिक LPA संख्या–58/2024 श्री श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति के फलस्वरूप मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 में निहित प्रावधान के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के अधिसूचना सं0–4593–सह–पठित ज्ञापांक–4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा श्री श्रीकांत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध अधिरोपित 'बर्खास्तगी (Dismissal)' की शास्ति को निरस्त करते हुए सभी परिणामी लाभ एवं नियमानुसार अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने हेतु विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गयी।

9. तदोपरांत विधि विभाग द्वारा मामले को समिति के समक्ष रखे जाने की सहमति प्रदान करते हुए दिनांक 17.06.2025 को बैठक सम्पन्न कराकर बैठक की कार्यवाही के साथ संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी। बैठक की कार्यवाही में समिति का निर्णय निम्नवत है :–

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in

"समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त LPA संख्या–58 / 2024 श्री श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना संख्या–4593–सह–पठित ज्ञापांक–4594 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा श्री श्रीकान्त सिंह के विरूद्ध संसुचित दंडादेश / निर्णय को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरसः अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।"

10. उक्त के आलोक में श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अधिसूचना सं0–4593–सह–पठित ज्ञापांक–4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिरोपित 'बर्खास्तगी (Dismissal)' की शास्ति को निरस्त करते हुए सभी परिणामी लाभ एवं नियमानुसार अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7474 दिनांक 10.07.2025 द्वारा इनके विरूद्ध अधिसूचना सं0–4593–सह–पठित ज्ञापांक–4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिरोपित 'बर्खास्तगी (Dismissal)' की शास्ति को निरस्त करते हुए इन्हें सभी परिणामी लाभ एवं नियमानुसार अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान का आदेश दिया गया।

11. उक्त के आलोक में श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि एवं 'बर्खास्तगी (Dismissal)' अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(1) श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि दिनांक 04.06.2009 से 07.10.2012 तक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(3) एवं 11 (4) के तहत सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी एवं उक्त अवधि में अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा तथा ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(2) श्री सिंह के वर्खास्तगी की तिथि 16.12.2014 से वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2022 तक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–13(3) के तहत सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जाएगी एवं उक्त अवधि में अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/07/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–155/2012 10179 /पटना/दिनांक :– 22/9/25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

22/9/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–155/2012 10179 /पटना/दिनांक :– 22/9/25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–155/2012 10179 /पटना/दिनांक :– 22/9/25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–2/ मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय/औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–05, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पताः– N.T.P.C. Colony, Road No.-7, East Ramkrishna Nagar, Post- New Jaganpura, P.S.- Ramkrishna Nagar Patna, Pin-800027 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–155/2012 10179 /पटना/दिनांक :– 22/9/25

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

22/9/25
अवर सचिव